



2026:AHC:35680

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6430/2026

दया शंकर एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक प्रथम, प्रयागराज मंडल एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार, अप्रजित यादव, शायम लाल यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक- प्रथम), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 24(4) के अधीन अपील संख्या 01573 / 2019 (कंप्यूटरकृत मामला संख्या सी201902000001573) (सुबेदार एवं अन्य बनाम राम केशन एवं अन्य) का निर्णय करने का निर्देश देना है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिशासी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) को सुना गया।

3. आज पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक- प्रथम), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपरोक्त अपील का निर्णय, विधि के अनुसार सख्ती से, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

17 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”